Board of Revenue For Rajasthan Ajmer
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

अपील / टी.ए. / 3005 / 2003 / भरतपुर

1. किशनलाल पुत्र मदन मोहन (फोत) के का.मु.–
   1 / 1. त्रिपुरारीलाल
   1 / 2. हीराशंकर
   1 / 3. लोकबिहारी
   1 / 4. रूपनारायण
   पुत्रान किशनलाल जाति ब्राहमण निवासी ग्राम सेवर कला तहसील व जिला भरतपुर

....अपीलांट्स

बनाम

1. रामवती बेवा तन्नूलाल
2. अनिल कुमार पुत्र तन्नूलाल
3. विनोद पुत्र तन्नूलाल
4. मुकेश पुत्र तन्नूलाल
5. मिथलेश पाठक पुत्री तन्नूलाल
6. कुसुम पुत्री तन्नूलाल
   सभी जाति ब्राहमण निवासी सेवर हाल नि0 अटल बन्द भरतपुर
7. राज. सरकार जरिये तहसीलदार भरतपुर

.....रेस्पोडेन्ट्स

खण्ड पीठ
श्री मोडूदान देथा, सदस्य
श्री रवि प्रकाश शर्मा, सदस्य

उपस्थित–
श्री अशोक अग्रवाल, अभिभाषक अपीलांट
श्री यज्ञदत्त शर्मा, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट

दिनांक 26.3.2018

निर्णय

यह अपील राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13–5–2003 के विरूद्ध राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 225 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि रेस्पो. के पिता तन्नूलाल ने एक वाद अपीलांट/प्रतिवादी के विरूद्ध सहायक कलक्टर भरतपुर के न्यायालय में प्रस्तुत किया, जिसे विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 10–12–2001 द्वारा खारिज कर दिया। जिसके विरूद्ध रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 6 ने राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की, जिसे अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय दिनांक 13–5–2003 द्वारा आंशिक स्वीकार करते हुए विचारण न्यायालय के निर्णय को निरस्त कर दिया एवं प्रकरण उभय पक्ष को सुनवाई/साक्ष्य का मौका देते हुए पुनः नियमानुसार निर्णय पारित करने हेतु विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर दिया। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के उक्त आक्षेपित निर्णय दिनांक 13–5–2003 से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा यह अपील इस न्यायालय के समक्ष पेश की गई है।

3. अपीलांट पक्ष की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 3 सपठित धारा 151 सीपीसी दिनांक 11–11–09 को दोनों पक्षों की सहमति से स्वीकार किया गया।

4. दोनों पक्षों को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। तत्पश्चात हमारा निष्कर्ष निम्न प्रकार से है।

5. विचारण न्यायालय द्वारा वादी के वाद को खारिज किया गया है। जिसके विरूद्ध रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 6 द्वारा राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई, जिसे राजस्व अपील प्राधिकारी ने अपने आक्षेपित निर्णय 13–5–2003 द्वारा आंशिक स्वीकार करते हुए प्रकरण विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया है। एग्जीबिट–4 रजिस्टर दाखिल खारिज इंतकाल यह जो दस्तावेज है इसमें बनवारीलाल का नाम है। एग्जीबिट–5 जमाबंदी संवत् 2017 में भी बनवारीलाल का नाम है। चूंकि इन दोनों दस्तावेजों में बनवारीलाल का नाम उभरकर सामने आ रहा है तथा एग्जीबिट ए–5 नामान्तरकरण में संभागीय आयुक्त अजमेर के आदेश दिनांक 3–2–60 तथा टेनेन्सी एक्ट की धारा 15 का अंकन है, तो ऐसी स्थिति में राजस्व अपील प्राधिकारी के द्वारा मामले को रिमाण्ड करने का और दोनों पक्षों

को सुनवाई/साक्ष्य का पुनः मौका देते हुए नियमानुसार निर्णय पारित करने का जो आदेश दिया गया है, उसमें कोई हस्तक्षेप करने की गुंजाइश नहीं है।

6. अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर का निर्णय दिनांक 13–5–2003 बहाल रखा जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रवि प्रकाश शर्मा)
सदस्य

(मोडूदान देथा)
सदस्य